

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 04/2019

राजस्थान सरकार जरिये श्री नीरज कुमार जैन, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर

.....प्रार्थी

बनाम

ख्वाजा का करम रेस्टोरेन्ट, फूलगली, दरगाह बाजार, अजमेर

.....अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित: श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर – पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 19.03.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 04.02.2019 को जिला रसद अधिकारी अजमेर के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरुपयोग/घरेलू सिलेण्डरों के अवैध रूप से गैस रिफिलिंग को रोकने के अभियान के तहत प्रार्थी मय संयुक्त जांच दल द्वारा अप्रार्थी के व्यवसाय स्थल की जांच करने पर अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर व्यवसायिक दुरुपयोग के प्रयोजन से भण्डारित 03 घरेलू गैस सिलेण्डर

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS	TYPE
1	264627	BPC	15.9	25.9	10.00	Domestic
2	056039	BPC	15.5	15.5	Nil	Domestic
3	4905519	BPC	15.5	15.5	Nil	Domestic

को कब्जेराज लिया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक कार्य में दुरुपयोग एलपीजी (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाय एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लंघन है। अतः तीन घरेलू गैस सिलेण्डर को राजहित में कब्जेराज लेकर मौके पर ख्वाजा गैस एजेन्सी के कार्मिक श्री शेखर कोतवाल पुत्र श्री कन्हैया लाल, निवासी कंचन नगर, दौराई, अजमेर को सुपुर्दगी में दिये गये। प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा तीनो घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जवाब नोटिस प्रस्तुत किया। सुनवाई चाहने पर उपस्थित को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 04.02.2019 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरुपयोग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरुपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का



Signature
जिला कलक्टर
अजमेर


अवश्यक है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः कब्जेराज लिये गये घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात फरमाया जावे।

जवाब में अप्रार्थी का कथन है कि वह उक्त रेस्टोरेंट का मालिक नहीं है केवल रेस्टोरेंट के पर लिया हुआ है। वक्त जांच पाये गये घरेलू गैस सिलेण्डर किसी और व्यक्ति ने कुछ देर के लिए रख दिये थे, जिसका अप्रार्थी नाम नहीं जानता था। अप्रार्थी उक्त गैस सिलेण्डरों का मालिक नहीं है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध दर्ज प्रकरण को खारिज फरमाया जावे।

हमारे बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा जवाब में ऐसे कोई आधारभूत कथन, दस्तावेजों साध्य सभूत के तर्ज नहीं किये गये है, जो प्रार्थना पत्र कथनों का खण्डन करते। वक्त जांच उक्के द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग अपने व्यवसाय स्थल पर किया जाया पाया गया है। इससे उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये तीन घरेलू गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूंकि उक्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 19.03.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।





(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलेक्टर
अजमेर